झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी.भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक–परि०आ०–192/2016 883 **/राँची, दिनांक–** 13/04/2020

प्रेषक,

के० रवि कुमार, भा०प्र०से०
सचिव,
परिवहन विभाग।

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
NIC, राँची।

विषयः **व्यवसायिक वाहनों के लिए VAHAN-4 सॉफ्टवेयर में 'Non-use clause facility' के क्रियान्वयन के संबंध में।**

प्रसंगः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पत्रांक–RT-11012/02/2019-MVL (pt-8), दिनांक–30.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के द्वारा परिवहन यानों के संबंध में कतिपय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देश के कंडिका–3 में निम्न प्रावधान वर्णित है–

'Non-use clause facility' for transport vehicles for suspension of tax liability, which is operational in a number of states and the facility is being provided by NIC on the VAHAN platform online, may be adopted by other states to give relief to the commercial vehicles like taxi, bus etc. which are non-operational under the current circumstances.

वर्त्तमान में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में सम्पूर्ण भारत में Lockdown की स्थिति है, जिसमें कई वर्ग के वाहनों का परिचालन बंद है।

अतएव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त उपरोक्त दिशा–निर्देश के आलोक में अविलम्ब VAHAN-4 सॉफ्टवेयर में 'Non-use clause facility' को प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाय ताकि वाहन स्वामी परिस्थिति के अनुरूप अपना आवेदन समर्पित कर सकें।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/4/2020

(के० रवि कुमार)
सचिव
परिवहन विभाग।

D:\Letter\Secretary.doc

ज्ञापांक– परि०आ०–192 / 2016 583 /राँची, दिनांक– 13/04/2020

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं प्रासंगिक पत्र के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

13/4/2020

सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०आ०–192 / 2016 583 /राँची, दिनांक– 13/04/2020

प्रतिलिपि–पी०एम०यू० कोषांग, परिवहन विभाग को प्रासंगिक पत्र अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि परिवहन विभाग के वेबसाईट पर इसे प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

अनु०–यथोक्त।

13/4/2020

सचिव
परिवहन विभाग।

लिए 10,000 (दस हजार) रु० एवं हल्के मोटर वाहन के लिए 25,000.00 (पचास हजार) रु० अधिक होने की स्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त से अन्यून स्तर के पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राकृत कोई पदाधिकारी आवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्दर बकाया कर/अर्थदण्ड की राशि मासिक श्तों में वर्तमान कर के साथ स्वीकार कर औपबंधिक कर-प्रतीक निर्गत करने के आदेश दे सकेंगे, जो सी भी स्थिति में छह किश्तों से अधिक नहीं होगी।"

13. उत्तराधिकारी पर बकाया कर के भुगतान का दायित्व।-(1) यदि किसी वाहन का स्वामी धित वाहन के देय कर का भुगतान किये बिना उस वाहन का स्वामित्व, कब्जा अथवा नियंत्रण किसी दूसरे क्ति के पक्ष में हस्तान्तरित कर देता है तो वह व्यक्ति, जिसके स्वामित्व, कब्जे अथवा नियंत्रण से संबंधित न आ गया है, वाहन पर बकाये कर एवं अर्थ दंड, यदि कोई हो, के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

(2) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उक्त कर के भुगतान हेतु उस व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित ं करेगी, जिसने स्वामित्व का हस्तान्तरण कर दिया है या ऐसे वाहन के कब्जे अथवा नियंत्रण से अलग गया है।

14. बाहर के राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों का कर के भुगतान किये बिना इस राज्य व्यवहार पर निषेध।-धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 धिनियम 59, 1988) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत ुज्ञप्ति के अधीन, किसी परिवहन वाहन का उस समय तक बिहार में न तो परिचालन किया जायेगा, र न ही परिचालन के लिये रखा जायेगा, जबतक कि उस वाहन के संबंध में [3][बिहार राज्य में चालन हेतु परमिट की सम्पूर्ण वैध अवधि के लिए अनुसूची I एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर यथा निर्दिष्ट अनुसूची II] में विनिर्दिष्ट समुचित दर पर संगणित कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यह कि ऐसे राज्यों के ऐसे मोटर वाहनों जिसका परमिट राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता, जिसमें की छूट का प्रावधान है, के अधीन उस राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत है, जो बिहार में चालित है, के लिये इस धारा के अन्तर्गत मोटर वाहन कर के अतिरिक्त दूसरा कर भुगतान नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन अन्य यों के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत परमिटधारी द्वारा बिहार य में परिचालन की स्वेच्छा देने पर राज्य सरकार द्वारा कर के बदले में कम्पोजिट शुल्क के रूप में र्धारित की जानेवाली राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में वार्षिक दर पर बैंक ड्राफ्ट या अन्य विहित ाके से संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष करना होगा।

[4][x x x]

[5][15. (1) राज्य सरकार को, कतिपय वाहनों को कर से छूट देने की शक्ति।-राज्य सरकार धिसूचना द्वारा, किसी मोटर वाहन के किसी वर्ग के संबंध में कर मुक्ति या कर की दर में कमी या र भुगतान के संबंध में अन्य उपान्तरण कर सकती है।

[6][(2) "अतिरिक्त मोटर वाहन कर की गणना हेतु वाहन की सामान्य एवं प्रतिरोध मरम्मती तथा ुरक्षण, विधि व्यवस्था की स्थिति, सड़कों की स्थिति, निर्वाचन, प्राकृतिक आपदा आदि को देखते हुए य सरकार अधिसूचना द्वारा मोटर वाहन के किसी वर्ग विशेष के लिये उद्ग्रहित होने वाले अतिरिक्त मोटर हन कर से विमुक्ति के दिनों की संख्या [7][अधिसूचना द्वारा] विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो [8][x x x] नियत वधि के लिये प्रभावी रहेगा तथा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

परन्तु एक माह में दिनों की संख्या जिनके लिये अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान में विमुक्ति जा सकेगी, किसी भी परिस्थिति में एक माह में दस दिनों से अधिक नहीं होगी।

अधि सं० 7, 2006 द्वारा "परन्तुक" जोड़ा गया।
अधि० सं० 8, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
अधि० सं० 6, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित (26.4.1994 के प्रभाव से)
"परन्तुक" अधि सं० 7, 2006 द्वारा निरसित।
"उपधारा (2)" अन्तः स्थापित तत्रैव (16.7.2002 से प्रभावी)
अधि सं० 7, 2006 द्वारा अतः स्थापिता
अधि सं० 8, 2007 द्वारा अन्तः स्थापित।
शब्द "अधिसूचना की तिथि से" विलोपित तत्रैव।

16. कर मुक्ति प्रतीक का निर्गमन।-करारोपण पदाधिकारी, उन मोटर वाहनों को जिन्हें धारा 15 के अन्तर्गत कर के भुगतान के दायित्व से मुक्त किया गया है, विहित प्रपत्र में कर मुक्ति प्रतीक निर्गत करेगा।

17. वाहनों के अस्थायी परिचालन-विराम की अवस्था में पूर्व सूचना।-(1) जब कोई मोटर वाहन यांत्रिक खराबी, विवाद अथवा [1][प्राकृतिक आपदा या बाध्यकारी व्यक्तिगत कारण" या राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य कारणों से एक माह से अधिक की किसी अवधि के लिये उपयोग के योग्य नहीं रहता है, तो संबंधित वाहन का स्वामी जिस अवधि के लिये कर भुगतान किया गया है उसकी समाप्ति की तिथि को या उसके पूर्व करारोपण पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित परिवचन देगा। अन्य विवरणों के अतिरिक्त, परिचालन-विराम की अवधि में वाहन रखे जाने का स्थान भी अंकित रहेगा। परिवचन के साथ वाहन का निबंधन प्रमाण-पत्र, योग्यता-प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, तथा कर प्रतीक अन्य विहित कागजात के साथ करारोपण पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये जायेंगे। परिचालन विराम के अवधि के विस्तार अथवा इस अवधि में वाहन रखे जाने के स्थान में परिवर्त्तन, यदि कोई हो, की पूर्व सूचना यथासमय करारोपण पदाधिकारी को दी जायेगी। संबंधित वाहन का परमिट, यदि कोई हो, भी उस प्राधिकार, जिसके द्वारा उक्त परमिट निर्गत किया गया है, के समक्ष करारोपण पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए, प्रत्यर्पित किया जायेगा:

परन्तु यह कि कोई ऐसा परिवचन एक बार में छः माह से अधिक अवधि के लिये नहीं होगा।

(2) यदि उपर्युक्त परिवचन में आवृत्त अवधि के अन्दर किसी समय संबंधित मोटर वाहन उपयोग में पाया जाता है या परिवचन के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर पाया जाता है, तो ऐसा वाहन इस अधिनियम के उद्देश्य से, उक्त संपूर्ण अवधि में बिना कर भुगतान किये, उपयोग में लाया गया माना जायेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन परिवचन समर्पित किये जाने के अभाव में इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक मोटर वाहन को राज्य के अन्दर उपयोग में अथवा उपयोग के लिये रखा मान कर, कर भुगतान के लिये दायी माना जायेगा।

18. कर की वापसी-(1) यदि किसी व्यक्ति ने किसी मोटर वाहन के संबंध में कर का भुगतान किया है, तो वह निम्नांकित परिस्थितियों में कर की वापसी का हकदार होगा:

(क) जब धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे मोटर वाहन के संबंध में परिवचन समर्पित किया गया है, जो कर वापसी आवेदन देने की तिथि तक करारोपण पदाधिकारी द्वारा, विहित जांच पड़ताल के पश्चात् उनके मत से मिथ्या न पाया गया हो, परिवचन देने की तिथि से कर भुगतान की अवधि की अंतिम तिथि तक की अनवसित अवधि के लिए प्रति कैलेन्डर माह पर वार्षिक कर का बारहवां हिस्सा का;

(ख) करारोपण पदाधिकारी द्वारा अधिक कर निर्धारण अथवा अन्य कारण से भुगतेय राशि से ज्यादा कर का भुगतान कर दिया गया हो तो अतिरिक्त जमा राशि का; एवं

(ग) जहां किसी वाहन का कर भुगतान किया गया हो, एवं बाद में यह पाया जाए कि वह वाहन कर के अध्यधीन नहीं है तो जमा कर-राशि का:

परन्तु यह कि कर की वापसी तब तक नहीं की जायेगी तब तक इसके लिये संबंधित व्यक्ति, करारोपण पदाधिकारी, को, कर वापसी की देय तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन न करता हो, और ऐसी प्रत्येक वापसी विहित शर्तों के अधीन रहेगी:

परन्तु यह और कि करारोपण पदाधिकारी विहित सीमा तक की राशि की वापसी की स्वीकृति के लिये सक्षम होगा और वापसी की राशि अधिक होने पर मामले को राज्य परिवहन आयुक्त या ऐसे पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, को निर्दिष्ट करेगा।

(2) कोई भी राशि जो उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अन्तर्गत वापस होने वाले है, प्रार्थी की स्वेच्छा पर आगामी अवधि में देय कर में सामंजित की जा सकेगी:

परन्तु यह कि, यदि कोई कर या अर्थ दंड, यदि कोई हो, प्रार्थी पर पूर्व अवधि से बकाया हो, तो वैसी स्थिति में लौटायी जाने वाली राशि सर्वप्रथम बकाये राशि के विरुद्ध सामंजित की जायेगी और शेष बची राशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।

---

1. "धारा 15" "धारा 15(1) के रूप में अधि सं० 6, 2003 द्वारा पुनर्संख्यांकित" (16.7.2002 से प्रभावी)

Government of Odisha
Commerce and Transport (Transport) Department
****

NOTIFICATION

Bhubaneswar dated the 09.4.20

No. 3552 / T ., Whereas due to lock down declared by Government of India as well as the State Government to prevent Corona Virus (COVID-19), the owners of stage carriages, contract carriages and goods carriages are not able to pay Motor Vehicle tax and additional tax for the month of **April, 2020 in respect of stage carriages/contract carriages** and **quarterly tax for the period of April-June, 2020 in respect of goods carriages** within the grace period as prescribed under sub rule-(2) of rule-9 of Odisha Motor Vehicle Taxation Rules,1976.

Considering the difficulties faced by vehicles owners, Government have been pleased to extend the grace period for payment of Motor Vehicle tax/ additional tax of the aforesaid categories of vehicles up to **30.06.2020**.

By Orders of Governor,

09/04/2020

Principal Secretary to Government

Established in 2008

Regd. No. 784/09

Jharkhand Pradesh Bus Owner's Association

Inslari Chowk Tipudana (Pugdu) Hatia, Ranchi (Jharkhand)

The Apex Organisation of Mass Transport Operators Affiliating District/Regional Association.

Patron
Krishna Pradhan
9431107001
Dharanath Jha
9102102380
Murari Dutt Upadhyay
9334264521

President
Satchidanand Singh
9431171816

Vice President
Binod Kumar
9430303715

Sanjay Kumar Pandey
9835335928

Gen. Secretary
Pradip Kumar
9431189095

Joint Secretary
Varun Bihari
9431576911

Treasurer
Prasenjeet Kr. Banerjee
9934148089
Rajesh Kumar
9006410475

Executive Member
Dharanath Jha
9204491511
Rajnish mishra
Abhishek Kumar
Md. Mosin
9431371676
Manish Kumar
Brajesh Sharma
Gopal yadav

Ref. JPBOA/2020

Date 10.04.2020
(10.04.2020)

सेवा में,
श्री हेमंत सोरेन जी
मुख्यमंत्री, झारखण्ड, राँची

विषय:- COVID 19 की रोकथाम के लिए देशव्यापी "लॉकडाउन" के कारण "गैर परिचालित" परिवहन वाहनों का 01 फरवरी 2020 से स्थिति सामान्य होने तक "कर" माफ करने / भुगतान से मुक्त करने / देय तिथि को आगे विस्तार करने का अनुरोध।

महाशय, झारखण्ड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन झारखण्ड के परिवहन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कोरोना वायरस को हराने के लिए आहूत देशव्यापी "लॉकडाउन" में परिवहन वाहन अपरिचालित है, जो सर्वविदित है।

परिवहन क्षेत्र पहले से ही आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, अब COVID-19 के विकसित परिदृश्य ने और संकट में डाल दिया है।

झारखण्ड मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2001 और झारखण्ड मोटर वाहन कराधान नियमावली, 2001 के अधीन परिवहन वाहनों पर लोक-सड़कों का प्रयोग के लिए कर अधिरोपित है।

यह सर्वविदित है कि देशव्यापी "लॉकडाउन" में परिवहन वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से बंद है अर्थात परिवहन वाहनों का लोक सड़क पर प्रयोग नहीं हो रहा है।

Established in 2008 | Regd. No. 784/08

Jharkhand Pradesh Bus Owner's Association

Inslari Chowk Tipudana (Pugdu) Hatia, Ranchi (Jharkhand)

The Apex Organisation of Motor Transport Operators Affiliating District/Regional Association

Patron
Krishna Pradhan
9431107001
Dhara nath jha
[redacted]
9102102380
Murari Dutt Upadhyay
9334264521

President
Satchidanand Singh
9431171816

Vice President
Binod Kumar
9430303715

Sanjay Kumar Pandey
9835335928

Gen. Secretary
Pradip Kumar
9431189095

Joint Secretary
Varun Bihari
9431576911

Treasurer
Prasenjeet Kr. Banerjee
9934148089
Rajesh Kumar
7006410475

Executive Member
Dharanath Jha
9204491511
Rajan mishra
Abhishek Kumar
Md. Mosin
9431371676
Manish Kumar
Vikas Verma
[redacted]
Gopal Yadav

Ref. JPBOA/2020 | Date 10.04.2020

इसलिए झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 और झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 2001 की मूल भावना एवं आशय के अनुसार भी गैर परिचालित परिवहन वाहन करादेय नहीं है।

वर्तमान परिदृश्य में, जब पूर्ण "लॉकडाउन" है और सरकारी परिवहन कार्यालय पूर्ण रूप से बंद हैं, असामान्य परिस्थिती है, इसलिए परिवहन वाहनों का अस्थाई परिचालन विराम की सूचना देना इस विकट एंव असामान्य स्थिति में देना संभव नहीं है और सूचना देने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि यह सर्व विदित है।

अतः आग्रह है कि 01 फरवरी 2020 से स्थिति सामान्य होने तक का परिवहन वाहनों को अस्थाई परिचालन विराम मानकर "कर" माफ करने / भुगतान से मुक्त करने / भुगतान की देय तिथि आगे (आगे) विस्तारित करने संबंधी परिपत्र / आदेश जारी करने की कृपा प्रदान की जाय।

प्रतिलिपि :—

(1) परिवहन मंत्री, झारखण्ड, रांची
(2) परिवहन सचिव, झारखण्ड रांची
(3) परिवहन आयुक्त, झारखण्ड रांची

आपका

[signature]
10/04/2020
(सच्चिदानंद सिंह)
अध्यक्ष
झारखण्ड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन
रांची, झारखण्ड

269

No. RT-11012/02/2019-MVL(pt-8)
Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
(MVL Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

Dated the 30 March, 2020

To,

1. The Director General of Police
2. Principal Secretaries/ Secretaries, Department of Transport
3. The Transport Commissioners
   of all the States and Union Territories.

Subject: Validity of documents related to Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 under the period of prevention of COVID -19.

Madam /Sir,

Please refer to the order and further the guidelines issued by Ministry of Home Affairs vide No.40-3/2020-DM-I(A), Dated 24th March 2020 and further to the guidelines issued, pursuant to a decision to impose a complete lock down in view of the threat imposed by the spread of COVID-19. The Government has provided for the availability of the essential goods and production thereof and has allowed the vehicles for the transport of such goods / cargo. It has come to the notice of the Government that citizens are facing difficulties in renewal of validity of various documents related to Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 due to complete lock-down in the country and closure of Government Transport Offices.

2. In view of the above, for the requirements of the validity of the documents under the Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 it is advised that the validity of Fitness, Permit (all types), Driving License, Registration or any other concerned document(s) whose extension of validity could not or not likely be processed due to lock-down and which have expired since 1st of Feb, 2020 or would expire by 30th of June 2020, the same may be treated to be valid till 30th of June 2020. Enforcement authorities are advised to treat such documents valid till 30th of June 2020.

3. 'Non-use clause facility' for transport vehicles for suspension of tax liability, which is operational in a number of states and the facility is being provided by NIC on the VAHAN platform online, may be adopted by other states to give relief to the commercial vehicles like taxi, bus etc. which are non-operational under the current circumstances.

4. All the States and Union Territories are requested to implement this advisory in letter and spirit so that the people, the transporters and various other organisations, which are rendering essential services at this difficult time, may not get harassed and face difficulties amidst nationwide lock-down.

Yours faithfully,

(Dr. Piyush Jain)
Director(MVL)
Tele/Fax: 23714974
e-mail: director-morth@gov.in

Copy to-
1. Shri Gautam Ghosh, DDG, NIC - for information and necessary action.